तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज मुतंकिली प्रा0प0/टीए/2591/2023/सीकर बंशीलाल बनाम जय कौशिक वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31/7/23	**एकल–पीठ** **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** उपस्थित– श्री सी.पी. पाराशर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी। श्री श्रीनिवास बेनीवाल, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण। **आदेश** 1– प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 87/2023, उनवान बंशीलाल बनाम जय कौशिक वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत् मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया है। 2– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी प्रभावशाली व्यक्ति है और आर्थिक रूप से सुदृढ है, जिसका असर प्रार्थी को न्यायालय में पेशी के दिन भी देखने को मिलता है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम गलत रूप से अकेले ही दर्ज कर दिये जाने एवं तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम विरासतन दर्ज हो जाने के कारण वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थी की ऐसी जानकारी में आया है कि क्रेता उक्त पीठासीन अधिकारी का परिचित है, इसलिये पीठासीन अधिकारी दवाब में आकर विक्रय विलेख निष्पादित करवाने के लिये स्थगन आदेश को निरस्त करना चाह रहे है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी और पीठासीन अधिकारी के आचरण से निष्पक्ष रूप से न्याय मिलने की संभावनायें नहीं रही है। अतः मुंतकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर से जिले के बाहर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने का निवेदन किया गया। 3– अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झुठे एवं मनगढत आरोप लगाये गये है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। 4– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मंडल में मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण हेतु निवेदन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हो। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पैरावाईज टिप्पणी में उनके द्वारा प्रार्थी के आरोपों को मनगढत एवं तथ्यहीन अंकित करते हुये प्रकरण उनके यहां से किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्धेश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज मुतंकिली प्रा0प0/टीए/2591/2023/सीकर बंशीलाल बनाम जय कौशिक वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 RRD 117 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः– *"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case, ..."* 5– इसी अनुक्रम में न्यायिक दृष्टांत 2006-07 (Supp.) RRT 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः– ***"फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का*** **abuse of the process of law** ***नहीं हो।"*** 6– उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अनुसरण करते हुये हमारा मत है कि पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं निष्पक्षता के सबंध में बिना किसी ठोस साक्ष्य के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। 7– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन एंव विश्वास योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	